

प्रारूप-एक
(नियम 11)

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना**

क्रमांक/47257अ-82/भू-अर्जन/2022-23/2022

कोण्डागांव, दिनांक 09 / 12 / 2022

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	लिहागांव	15	0.704 हे०	लिहागांव-बांसकोट मार्ग के कि०मी० 2/10 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-लिहागांव की निजी भूमि

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21/12/2022 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन लिहागांव पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	लिहागांव-बांसकोट मार्ग के कि०मी० 2/10 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-लिहागांव की निजी भूमि
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	15
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	मकान-निरंक, अन्य परिसम्पत्तियां-आम वृक्ष-01 नग, नीलगिरी-02 नग
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ 0.704 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1103.31 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	सेतु निर्माण से लगभग 15 ग्रामों के लगभग 18557 ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों को आवागमन सुविधा होगी।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक /4725A/ अ-82/ भू-अर्जन / 2022-23 / 2022
प्रतिलिपि:-

कोण्डागांव, दिनांक 09/12/2022

1. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल को उपलब्ध करावें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को उपलब्ध कराने बाबत।
6. तहसीलदार बड़ेराजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-लिहागांव, कार्यालय जनपद पंचायत-बड़ेराजपुर में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।
7. सचिव, ग्राम पंचायत-लिहागांव, तहसील-बड़ेराजपुर को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत-लिहागांव के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य.....
..... को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

(दीपक सोनी)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पद्वेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ग्राम लिहागांव, ग्राम पंचायत लिहागांव, पटवारी हल्का 12, तहसील बडेराजपुर जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम, जाति	कुल धारित भूमि			अर्जित भूमि का विवरण		
		खसरा नं.	रकबा	लगान	खसरा नं.	रकबा	रकबा
1	मु. फुलोदेवी बेवा, भावसिंह, धन्तराम, बन्तराम, पिता दुवारू	293/3 क	0.149	0.87	293/3 क	0.099	0.099
		296/3	0.202	0.87	296/3	0.016	0.016
2	मन्तराम पिता शिचरण भैती पति मन्तराम	293/2 क	0.149	1.13	293/2 क	0.022	0.022
		296/2	0.202	1.13	296/2	0.014	0.014
3	बृजलाल पिता सुदू जोहन पति बृजलाल, सूलो, सुनती, क्रांति पिता बृजलाल	293/4 क	0.149	1.12	293/4 क	0.019	0.019
		296/4	0.202	1.12	296/4	0.013	0.013
4	रामनाथ, रामसू, पिता मनसुदन बिसरबाई पति रामनाथ	294	1.651	5.00	294	0.119	0.119
5	बलराम पिता रघु	299	1.254	0.82	299	0.066	0.066
6	विश्राम पिता फागू सवत्री बाई पिता विश्राम	291/4	0.143	1.00	291/4	0.035	0.035
7	मानकु पिता लैखन	297/1	0.077	1.20	297/1	0.004	0.004
8	दुखु पिता सुदन	297/2	0.076	1.20	297/2	0.013	0.013
9	दुखर पिता सुदन	297/3	0.076	1.20	297/3	0.009	0.009
10	कुनत पिता मुख	297/4	0.076	1.20	297/4	0.009	0.009
11	सुखर पिता सुदन	297/5	0.076	1.20	297/5	0.028	0.028
12	रोयदास पिता विपति	298/1	0.441	0.59	298/1	0.003	0.003
		296/1	0.202	1.13	296/1	0.023	0.023
13	थानसिंह पिता दुवारू	293/1	0.202	1.13	293/1	0.135	0.135
14	लखमू पिता फागू	291/3	0.227	0.10	291/3	0.007	0.007
		291/3 ख	0.053	0.76	291/3 ख	0.035	0.035
15	बाबूलाल पिता हनस	293/2 ख	0.053	7.76	293/2 ख	0.035	0.035
			5.660			0.704	0.704
	कुल 15 किसान						

WJ
कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि., सेतु निर्माण
संभाग कांकर

WJ
अनुविभागीय अधिकारी,
लो.नि.वि., सेतु निर्माण
उपसंभाग कांकर

R. K. S.
राजस्व निरीक्षक
बड़ेराजपुर

R. K. S.
नायब तहसीलदार
उप तहसील-बांसकोट